# नमक और महात्मा गांधी

आम तौर पर यह माना जाता है कि धरती के सभी संसाधनों पर सबका साझा अधिकार है। यदि संसाधनों को सिर्फ खनिज पदार्थों तक सीमित किया जाए तब भी जिस देश में वे संसाधन उपलब्ध हैं, वो देश अपनी रियाया के लिए उनका दोहन करता है और अपनी ज़रूरत के बाद शेष बचे हिस्से को अन्य देशों को निर्यात कर देता है। नमक भी एक ऐसा ही खनिज पदार्थ था जिसे कई देश समुद्री पानी से तैयार करते थे और उसका व्यापक व्यापार भी करते थे।

सदियों से भारत के लम्बे समुद्र तटीय इलाकों और राजस्थान की नमकीन झीलों से देश की ज़रूरत का नमक मिल जाता था। दो सौ साल पहले उड़ीसा की पहचान अच्छी गुणवत्ता वाले नमक की वजह से थी। लगभग सन् 1800 तक सब ठीक ही चल रहा था। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के पैर पसारने के साथ जैसे-जैसे भारत ब्रिटिश उपनिवेश बनता चला गया, भारत के कई उद्योगों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा। इनमें नमक उद्योग भी एक ऐसा उद्योग था जिसे ब्रिटिश नमक के साथ न केवल प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, बल्कि विपरीत हालातों में संघर्ष करना पड़ा। एक देश जब दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाता है तो न सिर्फ वहाँ के संसाधनों पर कब्ज़ा चाहता है बल्कि वहाँ के उद्योगों को चौपट कर खुद का एकाधिकार बनाना चाहता है। जब ऐसा न कर पा रहा हो तो मनमाना टेक्स थोपना, अन्तर-राज्यीय व्यापार को बन्द करने की तिकड़में लगाना जैसे हथकण्डे अपनाए जाते हैं। ऐसा ही बहुत कुछ ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुआ था। इसके विरोध में लोगों ने गांधीजी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब तक औपनिवेशिक ताकतों ने भारत को नमक के निर्यातक से नमक का आयातक बना दिया था। संसाधनों पर कब्ज़े की ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियाँ मार्क कुरलान्स्की की किताब *सॉल्ट: अ वर्ल्ड हिस्ट्री* के 'नमक और महात्मा (सॉल्ट एंड ग्रेट सोल)' अध्याय में पढ़िए।

* * *

**19वीं** सदी में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में नमक कारोबार पर कृत्रिम तरीकों से अवरोध खड़े करने से पहले भारत में सभी को सहजता से

वाजिब कीमत पर नमक उपलब्ध हो रहा था। प्राचीन काल से ही भारत के दोनों समुद्र के तटीय इलाकों में बनने वाले नमक और इसी तरह भारत के भीतरी इलाकों में नमकीन पानी की झीलों और पंजाब में नमक की खदानों से मिलने वाले नमक का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जा रहा था। पंजाब में नमक की खदानें थीं, लेकिन हिन्दु धर्म के कुछ अनुयायी ऐसा मानते थे कि चट्टानों के साथ पाया जाने वाला नमक पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। इसी तरह नमकीन पानी उबालकर तैयार किए जाने वाले नमक की शुद्धता पर भी वे सवालिया निशान लगाते थे। परन्तु इस सबके बावजूद सूरज की रोशनी में वाष्पन की प्रक्रिया से तैयार नमक को हिन्दु धर्म के अनुयायी मान्यता देते थे। इस नमक को सहज-सरल तरीके से बनाया भी जा सकता था। वर्तमान में पाकिस्तान से सीमा बनाते पश्चिमी समुद्री तट और पूरब में कलकत्ता के बाद स्थित नदियों के डेल्टा इलाके में काफी सारा दलदली इलाका है। इन सब इलाकों में सूरज की रोशनी के कारण समुद्र के नमकीन पानी के वाष्पन से नमक की पतली परत (पपड़ी) बनती है।

पश्चिमी तटीय इलाके में गुजरात के कच्छ रन में लगभग 9000 वर्ग मील इलाके में पिछली कई शताब्दियों से नमक बनाया जा रहा है। यह दलदली इलाका समुद्री पानी से भरा रहता है। अगस्त और सितम्बर में बारिश के दौरान यह इलाका नदियों के पानी से भर जाता है, और फिर दिसम्बर में उत्तर की ओर से आने वाली ठण्डी-शुष्क हवा के कारण नमकीन पानी का वाष्पन होने लगता है।

## देशी नमक का उत्पादन

पूर्वी तटीय इलाके में उड़ीसा के 320 किलोमीटर लम्बे और 10-60 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में नमक का उत्पादन होता था। कुदरती तौर पर यह इलाका नमक उत्पादन के लिए मुफीद था। यहाँ नमक की क्यारियों को 'खलारी' कहा जाता था। ये क्यारियाँ ग्रीष्म ऋतु के ज्वार के पानी से पूरी तरह भर जाती थीं और वहाँ की मिट्टी लवणयुक्त हो जाती थी। वाष्पीकरण के कारण नमक की जो परत बनती थी, उसे 'कर्टक' कहा जाता था। नमक की एक दूसरी किस्म को 'पांगा' कहा जाता था। इसके तहत लवणयुक्त मिट्टी में समुद्री जल मिलाकर उसे उबाला जाता था। इससे जो नमक तैयार होता था, उसे 'पांगा' कहा जाता था। नमक बार-बार बनाया जा सकने वाला पदार्थ होने की वजह से तटीय इलाकों में नमक तैयार करने के अलावा अन्य गतिविधियाँ नहीं हो पाती थीं। उड़ीसा में गरीब किसान भी खलारी में नमक बनाते थे जिसे वे खुद भी इस्तेमाल करते थे और बेचते भी थे।

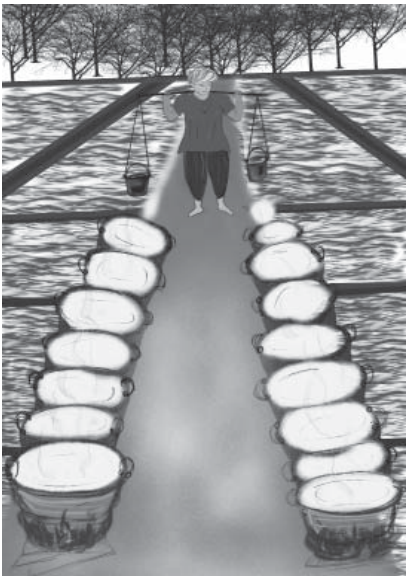

चित्र: हिमांशी मोने

**चित्र-1:** *उड़ीसा के लगभग 300 किलोमीटर लम्बे समुद्री किनारे पर कई जगहों पर नमक का उत्पादन किया जाता था। उड़ीसा में नमक तैयार करने का एक तरीका था, क्यारियों में समुद्री पानी भरकर उसका वाष्पन करना।*

*दूसरा तरीका था, समुद्र की लवण युक्त मिट्टी में समुद्र का और पानी मिलाकर इस कीचड़नुमा मिट्टी को नांद में भरकर भट्टियों के ज़रिए गर्म करना। आग की वजह से जल्द ही कीचड़ सूख जाता और नांद नमक दिखने लगता।*

*यहाँ चित्र में एक मज़दूर नांद से नमक इकट्ठा कर रहा है। इस नमक को पांगा नमक कहा जाता है। मज़दूरों को मलांगी कहा जाता था।*

नमक बनाने वाले इन खलारी यानी खेत की क्यारियों से झाड़ी-झंकाड़, जड़, घास आदि को उखाड़कर खेत को साफ कर लेते थे। इन उखाड़ी गई सामग्री का उपयोग खलारी बनाने में भी किया जाता था। ज्वार के समय समुद्र का पानी इन खलारी में आ जाता था और यहीं बना रहता था। ग्रीष्मकाल में ज्वार के वक्त और अधिक समुद्री जल यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता था। इस लवणयुक्त मिट्टी में और नमकीन पानी के आने से नमक से संतृप्त कीचड़ बनता था। इस कीचड़ को एक-दूसरे से जोड़े गए लगभग 200 नांद में भरा जाता था। इन नांद के दोनों छोरों पर भट्टी की मदद से आग जलाकर हवा की मदद से इसकी आँच को सभी नांद तक पहुँचाया जाता था। धीरे-धीरे सभी नांदों में कीचड़ का वाष्पीकरण शुरू हो जाता था। इस कीचड़ को नांद में हिलाते जाने का काम जो लोग करते थे, उन्हें 'मलांगी' कहा जाता था। थोड़ी देर में हर नांद में कीचड़ की जगह तीन-चौथाई सफेद नमक दिखाई देने लगता था। इस नमक को नांद से निकालकर ढेरियाँ बनाई जाती थीं। इस तरह बेहतर गुणवत्ता का सफेद शुभ्र नमक भारत के सभी लोगों को कम-से-कम कीमत पर मिल जाता था।

इस पांगा नमक की भारत के कई इलाकों में काफी मांग थी। महानदी और उसकी सहायक नदियों की जलधारा में नाव की मदद से नमक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। मध्य भारत के सुदूर

इलाकों से व्यापारी इस नमक को खरीदने के लिए आते थे। वे अपने साथ कपास, तम्बाकू, अफीम, गांजा, अनाज वगैरह लेकर आते थे और उसके बदले में नमक बैलगाड़ियों में भरकर ले जाते थे।

बंगाल के ब्रिटिश व्यापारी भी इस नमक को खरीदते थे। 18वीं सदी में अँग्रेज़-फ्रांसीसी युद्ध में यही नमक गोला-बारूद में इस्तेमाल हो रहा था।

प्राचीन काल से ही भारत में नमक पर थोड़ा-बहुत कर लगाया जाता था। ब्रिटिश लोगों के भारत आने के समय भारत के काफी बड़े इलाके पर मराठा हुकूमत का नियंत्रण था। उड़ीसा पर नियंत्रण करने वाले मराठा सरदार द्वारा नमक के व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था। नमक के व्यापार का आकार इतना बड़ा था कि इस मामूली कर से भी मराठा राज की बड़ी आमदनी हो जाती थी। उड़ीसा में नमक की कीमत नियंत्रित रहे और बाज़ार में उड़ीसा का नमक महंगा न हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए नमक पर कर का निर्धारण किया जाता था। इस कर से प्राप्त आमदनी का उपयोग आम तौर पर नमक के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ही किया जाता था।

18वीं सदी में इंग्लैंड के चेशायर में नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और इस नमक के लिए ब्रिटिश व्यापारियों को बाज़ार

**चित्र-2:** *मराठा सरदार रघूजी भोसले*

की ज़रूरत महसूस होने लगी। लीवरपूल का नमक गुणवत्ता और कीमत, इन दोनों लिहाज़ से उड़ीसा के नमक से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। सन् 1790 में ब्रिटिश व्यापारियों ने उड़ीसा में मौजूद मराठा सरदार रघूजी भोसले से उड़ीसा के समस्त नमक भण्डार खरीदने के लिए अनुमति मांगी। रघूजी ने इस नमक खरीदी के पीछे निहित अँग्रेज़ व्यापारियों की मंशा को भाँप लिया था। ऐसा करके अँग्रेज़ बाज़ार से नमक गायब करके कृत्रिम तरीके से नमक की कीमतों को बढ़ाना चाहते

थे। जब रघूजी ने नमक खरीदने की अनुमति नहीं दी तो अँग्रेज़ों ने बंगाल में उड़ीसा के नमक की बिक्री पर पाबन्दी लगा दी।

बंगाल-उड़ीसा की सीमा पर घने जंगल थे। इस वजह से सीमा पर पहरा देना मुश्किल काम था। इस पाबन्दी की वजह से तस्करी बढ़ी और बंगाल में उड़ीसा का नमक काफी मात्रा में पहुँचने लगा। उड़ीसा के नमक के सामने अँग्रेज़ों का नमक टिक नहीं पा रहा था। सन् 1803 में तस्करों से निपटने के नाम पर अँग्रेज़ों ने सेना का इस्तेमाल करके उड़ीसा पर कब्ज़ा कर लिया और उसे बंगाल में मिला दिया।

## अँग्रेज़ों की नमक नीति

1 नवम्बर, 1804 को एक करार के तहत अँग्रेज़ों का उड़ीसा के पूरे नमक कारोबार पर एकाधिकार हो गया। निजी नमक की बिक्री पर भी पाबन्दी लगाई गई। जिन लोगों के पास जितने नमक के भण्डार थे, उन्हें तुरन्त निर्धारित मूल्य पर अँग्रेज़ों को बेचने का फरमान जारी कर दिया गया। नमक के यातायात पर भी पाबन्दी लगा दी गई। इतना ही नहीं, छोटी व्यापारिक नावों पर कर्मचारियों द्वारा खुद के उपयोग के लिए ले जाए जा रहे नमक पर भी निगाह रखी जाती थी। अगले दस साल के भीतर एलान कर दिया गया कि अँग्रेज़ों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नमक तैयार करने को गैर-कानूनी माना जाएगा। ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अच्छा-खासा वेतन देकर लोगों की नियुक्ति की गई।

नमक का कारोबार खत्म होने की वजह से उड़ीसा के ज़मीदारों ने अँग्रेज़ों का विरोध किया। उड़ीसा पर अँग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले, उत्तरी उड़ीसा में मलांगी स्थानीय ज़मींदारों के अधीन काम करते थे। मलांगी को नाममात्र की मज़दूरी देकर उत्पादित नमक की बिक्री से ज़मींदार भरपूर मुनाफा कमाते थे। इसके अलावा मलांगी समुद्र के किनारे की ज़मीनों को ज़मींदारों से किराए पर लेकर नमक बनाते थे। ऐसे में किराए के अलावा ज़मींदारों को उपयोग के लिए मुफ्त में नमक मिल जाता था।

फिर भी, मलांगियों के लिए अँग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई एकाधिकार व्यवस्था के मुकाबले ज़मीदारों के अधीन काम करना ज़्यादा सहज था। अँग्रेज़ व्यापारी मलांगी को नमक उत्पादन के लिए पेशगी (एडवांस) रकम देते थे जिसकी वजह से मलांगी कर्ज़ के जाल में फंसते जा रहे थे। इस कर्ज़ के भुगतान के लिए मलांगी अँग्रेज़ों के नमक विभाग के गुलाम बनते जा रहे थे।

शुरुआत में ज़मींदारों ने मलांगियों से अँग्रेज़ों के साथ सहयोग न करने के लिए कहा। मलांगियों ने भी गैर-कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू

किया जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में मलांगी गिरफ्तार किए गए। सन् 1817 में मलांगियों ने विद्रोह करते हुए अँग्रेज़ों के नमक उत्पादन की जगहों, गोदामों, एजेंटों पर हमले किए और एजेंटों को मार भगाया।

लेकिन यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। परन्तु कई मलांगी भूमिगत तरीके से नमक उत्पादन करते रहे और ऐसे कई परिवार इस गैर-कानूनी उद्योग पर अपना गुज़ारा कर रहे थे। अँग्रेज़ों की नमक नीति की वजह से भारतीय जनता बेहद चिढ़ी हुई है, इसका एहसास इंग्लैंड में सभी को था।

19वीं सदी की शुरुआत में नमक पर लगाए करारोपण से मुनाफा मिले, नमक की तस्करी रोकी जा सके, इसलिए ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा बंगाल में जगह-जगह जाँच चौकियाँ खड़ी की गईं। सन् 1834 में जी.एच. स्मिथ नामक उत्साही अँग्रेज़ अधिकारी को कस्टम्स विभाग का कमिशनर बनाया गया। उसने अपने बीस साल के कार्यकाल में पूरे बंगाल में कस्टम्स लाइन के दफ्तरों को खड़ा कर दिया जिन्हें पार कर नमक ले जाने पर कर देना होता था। उन दिनों तम्बाकू जैसी अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया था ताकि कस्टम कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ नमक पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। इन कर्मचारियों को हमेशा की तरह भरपूर अधिकार लेकिन कम पगार मिलती थी। इनके हाथ में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे असीमित अधिकार थे। रिश्वत और भ्रष्टाचार की परम्परा तो सभी जगह मौजूद थी ही। सन् 1840 में इस कर प्रणाली का अधिक-से-अधिक पालन किया जा सके, इसके लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक एक विशाल कँटीली बाड़ बनाने की योजना बनाई। यह बाड़ 14 फीट ऊँची और 12 फीट चौड़ी थी जो कँटीली झाड़ियाँ लगाकर बनाई गई थी। नमक की तस्करी रोकने के लिए बंगाल की पश्चिमी सीमा पर यह बाड़ सबसे पहले बनाई गई। सन् 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत मज़बूत होने के साथ कस्टम की यह लाइन हिमालय से उड़ीसा तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैल गई।

## नमक पर भेदभाव पूर्ण कर

कँटीले बबूल, आपस में फँसे बांस आदि लगाकर बनाई घनी बाड़ में निश्चित दूरी पर कस्टम चौकियाँ बनाई गई थीं, जहाँ कस्टम अधिकारी तैनात होते थे। सिर्फ इन्हीं चौकियों से ही बाड़ को पार किया जा सकता था, अन्यथा बाड़ को पार करना मुमकिन नहीं था। सन् 1870 तक इस कस्टम लाइन पर 12000 कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई थी।

शुरुआत में अँग्रेज़ों ने अपने अधिकार में उड़ीसा में नमक का

उत्पादन करवाने और अपने द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने का विचार किया था। इस खयाल को अमलीजामा पहनाने के लिए उन्होंने उड़ीसा के समुद्र तटीय इलाकों में नमक उत्पादन का इलाका बढ़ाने के लिहाज़ से वहाँ के जंगलात साफ करना शुरू किए। परन्तु ब्रिटिश व्यापारियों को डर था कि उड़ीसा के नमक के चलते उनका नमक बंगाल के बाज़ार में टिक नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दबाव बनाकर उड़ीसा में नमक का उत्पादन धीरे-धीरे बन्द करने सम्बन्धी राय बनवाई। सन् 1836 में भारत के नमक और भारत में आयात किए गए नमक पर एक-जैसी दर से ही करारोपण कर दिया गया। नमक स्थानीय निर्मित है या बाहर से आया है, इससे शासन को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि नमक जो भी हो, उससे मिलने वाला कर तो एक-जैसा ही था।

इस किस्म की कर प्रणाली के चलते स्थानीय नमक बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकता था। इस नमक की बिक्री भी धीमी गति से होती थी इसलिए कलकत्ता के गोदाम में स्थानीय नमक का ढेर लग जाता था। कलकत्ता की नम जलवायु में नमक के गीले होकर गिलगिला होने का खतरा बना रहता था। बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों ने उड़ीसा का नमक कम दर्जे का और खर्चीला होने की बात कहकर उड़ीसा में नमक उत्पादन की कई इकाइयों को बन्द कर दिया। इसकी वजह से सन् 1845 में उत्पादित नमक की मात्रा पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई थी।

नमक इकाइयों के बन्द होने की वजह से कम हो रहे उत्पादन को गम्भीरता से लेते हुए उड़ीसा के कमिशनर ए.जे.एम. मिल्स ने बंगाल के अधिकारियों को चेताया कि यदि नमक का उत्पादन कम करेंगे तो यहाँ के किसान शासन के विरोध में उठ खड़े होंगे क्योंकि नमक उत्पादन के इलाके के इन किसानों को नमक बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। इन सब किसानों के लिए खेती के अलावा नमक उत्पादन एक महत्वपूर्ण सहायक उद्योग है।

* * *

**नमक** का उद्योग ज़ोर-शोर से चल रहा था। उस दौर में भी मलांगी लोग नमक के गोदामों के आसपास बेहद फटेहाल जीवन जी रहे थे। उनके परिवार से बीबी, बच्चे - सब नमक के उत्पादन में लगे हुए थे। कुछ मलांगी किसी दूर के इलाके में जाकर नमक बनाने का काम कर रहे थे। ये लोग अपना गाँव और परिवार छोड़कर 5-6 महीनों के लिए बाहर जाकर अस्थाई झोपड़ी बनाकर नमक उत्पादन का काम करते थे।

ब्रिटिश कर्मचारी नमक के यातायात या भण्डारण के दौरान होने

वाले नुकसान की भरपाई भी मलांगी लोगों से ही करवाते थे। देखा जाए तो नमक के यातायात से इन मज़दूरों का कोई लेना-देना नहीं था।

अँग्रेज़ों की यह नीति थी कि नमक उत्पादन वाली जगह के आसपास जंगल होने चाहिए ताकि जलाऊ लकड़ी पास-के-पास ही मिल सके। लेकिन कुछ बरसों में ही नमक उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने की गरज से जंगलों को काटा जाने लगा। इस वजह से जंगल में मौजूद हिंस्र जानवरों ने मलांगियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और कई मलांगियों को जान से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 1846 में नमक के एक सीज़न में 22 मलांगी मारे गए। हुकूमत द्वारा जंगल के हिंस्र जानवरों को मारने के लिए बड़े इनामों की घोषणा भी की गई, लेकिन इस सबसे भी इनका खौफ कम नहीं हुआ।

सन् 1863 में ब्रिटिश हुकूमत ने स्थानीय नमक के उत्पादन को जल्द-से-जल्द बन्द करने के लिए नमक उत्पादकों को स्पष्ट सन्देश दे दिया। नमक का उत्पादन बन्द होते ही सन् 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में सबसे ज़्यादा मलांगी समाज के लोग मारे गए क्योंकि उनके पास किसी भी तरह से इकट्ठा किया गया अनाज था ही नहीं। हुकूमत के इस फैसले से बंगाल में नमक की कमी महसूस होने लगी।

ऐसे हालात में उपाय के तौर पर अँग्रेज़ों ने कर्टक नमक का उत्पादन खुद ही शुरू कर दिया ताकि स्थानीय लोगों को कम कीमत पर नमक उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें थोड़ा रोज़गार भी मिल जाए। यह नीति इतनी सफल रही कि लीवरपूल का नमक इस स्थानीय नमक के सामने टिक न पाया। इसलिए सन् 1893 में स्थानीय नमक के उत्पादन को फिर से बन्द कर दिया गया।

स्थानीय नमक का उत्पादन बन्द होने से मलांगी लोग एक बार फिर दाने-दाने को मोहताज होने लगे क्योंकि नमक ही उनका एकमात्र उत्पादन और रोज़गार का स्रोत था। नमक की क्यारियों में अपने आप तैयार होने वाला सफेद-पपड़ीदार नमक मानों आस लगाए बैठा हो कि कब उसे यहाँ से निकालकर बेचने के लिए लेकर जाएँगे। लेकिन पपड़ी को खरोंचना भी कानूनन जुर्म था और इसके लिए भी सज़ा तय थी। नमक से सम्बन्धित कोई भी गतिविधि करने पर उड़ीसा में सख्त मनाही थी। अपने भूखे बीबी-बच्चों को छोड़कर लोग काम की खोज में अन्य प्रदेशों में जाने लगे। वहाँ उन्हें रुपए कमाने के लिए जैसे भी अस्वास्थ्यकर हालात मिल रहे थे, वे उनमें रहने के लिए मजबूर थे। इन्हीं रुपयों में से कुछ वे अपने घर पर भी भिजवा रहे थे। धीरे-धीरे उड़ीसा से मलांगी लोग गायब हो गए। वहाँ जो गरीब परिवार बच गए थे, उन्हें नमक मिलना भी मुश्किल हो गया था।

## नमक के लिए विद्रोह

अँग्रेज़ों की नमक नीति के विरोध में सन् 1888 में उड़ीसा में पहली सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। महानदी के किनारे स्थित कटक शहर में इसका आयोजन किया गया। इस सभा में यह मुद्दा उठाया गया कि भारत की गरीब जनता पर इंग्लैंड की जनता के मुकाबले 30 गुना अधिक नमक कर लगाया जाता है। नमक पर ब्रिटिश शासन द्वारा लगाया गया यह कर जनता पर अन्याय है क्योंकि कर पर दिया गया नमक तो विदेश से आयात किया गया है। शासन को चाहिए कि आमदनी पर कर की दर को बढ़ाए। इसी तरह, यूरोप से भारत में शासन की विविध सेवाओं में काम करने के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों की भर्ती पर रोक लगाकर रुपया बचाना चाहिए। नमक पर कर न लगाने से होने वाले नुकसान की भरपाई, विदेशी नागरिकों की भर्ती रोककर हुई बचत से की जा सकती है। ऐसे कई तर्क इस सभा में दिए गए।

20वीं सदी की शुरुआत में भारत की प्रान्तीय असेंबलियों में अँग्रेज़ों की नमक नीति पर तीखी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की गईं, आलोचना की गई। दूसरी ओर, सन् 1923 में आमदनी बढ़ाने की गरज से बजट में नमक पर टैक्स को दोगुना कर दिया गया। भारतीय लेजिस्टलेटिव असेंबली ने इस प्रस्ताव पर सहमति देने से मना कर दिया। फिर भी वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। सन् 1927 में लेजिस्टलेटिव असेंबली ने नमक कर को आधा करने का प्रस्ताव रखा। कुछ सदस्यों का तो मानना था कि टैक्स को समाप्त ही कर दिया जाए। परन्तु ब्रिटिश शासन ने इस प्रस्ताव को नहीं माना।

1929 में लेजिस्टलेटिव असेंबली में उड़ीसा के सदस्य नीलकंठ दास ने यह मांग की थी कि उड़ीसा में पहले की तरह नमक का उत्पादन किया जाए और नमक टैक्स को हटा दिया जाए। उनकी इस मांग पर शासन ने कहा कि इस टैक्स की वजह से ही भारत के गरीब लोग सरकार को कुछ तो देते हैं।

ब्रिटिश हुकूमत इस पूरे मुद्दे को गम्भीरता से नहीं ले रही थी। ब्रिटिश संसद में भारतीय मामलों के अंडरसेक्रेटरी लॉर्ड विंटरलॉन का मानना था कि इस मुद्दे पर इतना विचार-विमर्श करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संसद में सभी लोग अंडरसेक्रेटरी की राय से सहमत हों, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश संसद में सर हेनरी क्राइक (Henry Craik) ने नमक नीति के कारण निर्मित हुई कष्टप्रद स्थितियों के कारण भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आन्दोलन होने तथा कठिन हालात बनने की आशंका व्यक्त की थी। कुछ संसद सदस्यों का मानना था कि नमक पर कर की

वजह से ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेबर पार्टी ने ज़रूर नमक पर टैक्स की वजह से आयरलैंड जैसे हालात बनने के खतरे की ओर इशारा किया था।

सन् 1930 में उड़ीसा में खुलेआम विद्रोह का एलान किया जाने लगा। महात्मा गांधी जैसे नेतृत्वशाली व्यक्ति ने इन विद्रोहों को नमक कानून के खिलाफ आन्दोलन का स्वरूप दिया।

## दांडी यात्रा

सन् 1929 में काँग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नमक सत्याग्रह की योजना सामने आई। भारत के अनेक इलाकों में नमक का मुद्दा सुलग रहा था। उड़ीसा के विद्रोह के अलावा भी कुछ अन्य इलाकों में इस पर पहलकदमी हो रही थी। गांधीजी के कई करीबियों को भी यह सुनकर हैरानी हो रही थी कि नमक सत्याग्रह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक हिस्सा हो सकता है क्योंकि उनके विचार में नमक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन सकता था। भारत में इतने लोगों को नमक कानून से दिक्कत हो रही थी फिर भी अँग्रेज़ी हुकूमत की खामोशी एक गैर-ज़िम्मेदाराना रवैये का उदाहरण है, यह बात सबको समझ में आने लगी थी।

12 मार्च, 1930 को गांधीजी और उनके चुने गए 78 अनुयायी साबरमती आश्रम से बाहर निकले और पैदल-पैदल करीब 240 मील की दूरी पर स्थित दांडी समुद्र तट की ओर चल दिए। इस यात्रा का प्रमुख मकसद था, दांडी के समुद्र तट तक जाना और वहाँ समुद्री पानी के वाष्पित हो

**चित्र-3:** *दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। चौबीस दिवसीय अभियान पदयात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल, 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर-प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में चली।*

जाने से बनी नमक की परत को खरोंचकर, नमक इकट्ठा करना। और इस तरह अँग्रेज़ों के बनाए गए नमक कानून को चुनौती देना।

5 अप्रैल को, करीब 25 दिन बाद गांधीजी योजना के मुताबिक दांडी पहुँच गए थे। शुरुआत में जहाँ सफर 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ, वहीं अब हज़ारों का जनसमूह साथ उमड़ गया था। इस जनसमूह में समाज के सभी तबकों के स्त्री-पुरुष शामिल हेा गए थे।

उस रात गांधीजी ने सभी लोगों के साथ अरब सागर की हिलोरे मारती लहरों की गर्जना के बीच प्रार्थना की। अगली सुबह जल्द उठकर, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद, उन्होंने समुद्र के किनारे उस तरफ रुख किया जहाँ नमकीन पानी के सूखने से नमक की परत बनी हुई थी। उन्होंने झुककर वहाँ से एक मुट्ठी नमक उठाया। इस तरह उन्होंने अँग्रेज़ों के नमक कानून को चुनौती दी।

## उड़ीसा में आन्दोलन

गांधीजी के दांडी तक पहुँचने से पहले ही लोगों ने तय कर लिया कि वे उड़ीसा में भी नमक बनाएँगे। सारा देश गांधीजी का अनुकरण करे या न करे लेकिन उड़ीसा के लोगों ने नमक उत्पादन चालू रखने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने कटक में एक सभा का आयोजन किया जिसमें उड़ीसा के अलग-अलग हिस्सों से स्वयंसेवक पहुँचने लगे। उन्होंने स्वेच्छा से नमक कानून को तोड़ने और हर सम्भव मदद सम्बन्धी शपथ

**चित्र-4:** *अँग्रेज़ी हुकूमत नमक सत्याग्रह की सभाओं पर पाबन्दी लगाती और इन सभाओं में भाषण देने वाले वक्ताओं को पकड़कर जेल में डाल देती थी।*

पत्र तैयार किए। नमक सत्याग्रह के स्वरूप और महत्व को लेकर वहाँ नियमित रूप से सभाएँ होने लगी थीं। अँग्रेज़ी हुकूमत ने इन सभाओं पर पाबन्दी लगाई और इन सभाओं में भाषण देने वाले वक्ताओं को पकड़कर जेल में डालना शुरू किया।

गांधीजी के आन्दोलन को समर्थन देने के लिहाज़ से सभी जगहों पर नमक बनाने की तारीख 6 अप्रैल तय की गई थी। उड़ीसा में स्थानीय लोगों ने शंखनाद किया, फूलों की वर्षा की और अपने अहिंसक आन्दोलन की शुरुआत की। इन लोगों ने गोपबंधु

***चित्र-5:*** *12 मार्च, 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ शुरू हुई पदयात्रा का समापन 5 अप्रैल को दांडी नामक जगह पर हुआ। वहाँ गांधीजी ने नमक इकट्ठा करके नमक कानून को चुनौती दी। चित्र में गांधीजी नमक उठाते हुए।*

चौधरी के नेतृत्व में समुद्र तट की ओर यात्रा शुरू की। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी यात्रा रोकी नहीं गई। 13 अप्रैल को हज़ारों की तादाद में लोग इंचुरी पहुँचे और नमक कानून को तोड़ा। सभी ने नीचे झुकते हुए अपनी मुट्ठी को नमक से भर लिया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उनकी मुट्ठी से नमक छीनने की कोशिश की। सत्याग्रहियों के समूह, एक के बाद एक, दौड़ते हुए समुद्र के किनारे जाते और मुट्ठी में नमक भर लेते थे, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह अगले कई दिन यह आन्दोलन चलता रहा। जल्द ही जेल सत्याग्रहियों से भर गए लेकिन सत्याग्रही अनवरत इंचुरी पहुँचते ही जा रहे थे। पुलिस ने सत्याग्रहियों को गम्भीर धाराओं का डर भी दिखाया ताकि आन्दोलनकारी घबरा जाएँ लेकिन यह रणनीति भी काम नहीं कर रही थी। गांधीजी की दांडी यात्रा की वजह से केवल एक हफ्ते में यह आन्दोलन पूरे भारत में फैल गया।

गांधीजी और अन्य नेताओं ने गिरफ्तारी की स्थिति में भी आन्दोलन जारी रखने के लिए नेताओं की एक शृंखला बनाई थी। जब एक नेता गिरफ्तार किया जाता तो उसकी जगह लेने के लिए तुरन्त दूसरा नेता कमान सम्भाल लेता था। ब्रिटिश हुकूमत ने जवाहर लाल नेहरू, महादेव देसाई और देवदास गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था,

**चित्र-6:** *दांडी मार्च का मार्ग। गांधीजी और उनकी टोली ने 24 दिनों में 388 किलोमीटर की दूरी (साबरमती आश्रम से तटीय शहर दांडी तक) तय की। गांधीजी के लिए भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने 61 साल की उम्र में 24 दिनों में यह दूरी तय की थी।*

लेकिन वे गांधीजी को गिरफ्तार करने से बच रहे थे।

इसके बाद गांधीजी ने हुकूमत को सूचित किया कि वे धरसाना नमक कारखाने जा रहे हैं। अब तक शासन ने भी कार्यवाही का मन बना लिया था। गांधीजी को धरसाना पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी की रिहाई और शान्ति स्थापना के लिए अनुरोध आने लगे।

आखिरकार, ब्रिटिश हुकूमत को गांधीजी और अन्य नेताओं को रिहा करना पड़ा। इस रिहाई की वजह से शासन के साथ संवाद का माहौल बन सका। जल्द ही गांधी और वायसराय इरविन की मुलाकात तय हुई और मुलाकात भी हुई।

5 मार्च, 1931 को गांधी-इर्विन समझौते पर दस्तखत किए गए। इस समझौते के तहत समुद्र के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अपनी निजी ज़रूरत का नमक तट से इकट्ठा कर सकते थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बन्दी बनाए गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वायदा भी किया गया। लन्दन में एक गोलमेज़ सम्मेलन का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस समझौते से शायद भारतीयों की सारी अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो रही थीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम यह था कि पहली बार इंग्लैंड ने भारत को बराबरी से बैठाकर बातचीत का न्यौता दिया था।

## आज़ाद भारत के हालात

सन् 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय भारत में घरेलू स्तर पर नमक का उत्पादन काफी कम था। भारत को अपनी

***चित्र-7:*** *5 मार्च, 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इर्विन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत दांडी मार्च के राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया गया और इस समझौते के बाद ही भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक मिला।*

ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नमक आयात करना पड़ रहा था। (यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि नमक का उपयोग भोजन के अलावा कई उद्योगों में होता है जैसे कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, साबुन-डिटरजेंट, जल मृदुकरण संयंत्र, रंगाई, क्लोर-अल्कली इंडस्ट्री आदि।) उस समय भारत की प्राथमिकता थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि खत्म होते-होते देश में इतना उत्पादन होना चाहिए कि नमक आयात न करना पड़े। इसके लिए नए इलाकों में भी नमक उत्पादन के प्रयास किए गए। पारम्परिक रूप से भारत के तटीय इलाकों में समुद्री पानी को क्यारियों में भरकर उसका धूप में वाष्पन होने दिया जाता था। लेकिन गुजरात के कच्छ इलाके में भूमिगत खारे पानी का उपयोग भी नमक के उत्पादन में किया जाने लगा। भूमिगत खारे पानी में समुद्री पानी के मुकाबले ज़्यादा नमक घुला होता है। इस कारण समुद्री पानी की जगह भूमिगत खारे पानी का चलन बढ़ने लगा और साथ ही उत्पादन भी।

सन् 1947 के बाद आज़ाद भारत में नमक की कीमत हमेशा लगभग ऐसी रखी गई थी ताकि सामान्य जनता इसे आसानी-से खरीद सके। आज़ाद भारत में शुरुआत में नमक का उत्पादन छोटी सहकारी संस्थाओं

के मार्फत किया जाता था लेकिन यह कोशिश बहुत सफल नहीं रही। बाद में नमक उत्पादन में बड़ी कम्पनियों ने पहल की। यह अपेक्षा थी कि शासन नमक के उत्पादन से जुड़े मज़दूरों के हितों की रक्षा करेगा, इसलिए नमक कमिशनरों की नियुक्ति की गई। लेकिन मज़दूर अक्सर शिकायत करते हैं कि अहमदाबाद में गांधी आश्रम के पास बहने वाली नदी के दूसरे किनारे पर स्थित गुजरात सॉल्ट कमिशनर कार्यालय मज़दूरों के हितों की अनदेखी करके कम्पनियों के हितों को साधते हैं।

पंजाब सूबे की नमक की खदानें अब पाकिस्तान में हैं। गुजरात के तटीय इलाके और कच्छ का रन फिलहाल भारत में नमक उत्पादन के बड़े क्षेत्र हैं। इसके विपरीत, उड़ीसा में नमक उत्पादन के बहुत छोटे इलाके बचे हैं। किसी समय उड़ीसा के बालासोर, पुरी, गंजाम आदि ज़िलों में खूब नमक उत्पादन किया जाता था, लेकिन बाद में नमक उत्पादन की गतिविधि गंजाम ज़िले तक सिमटकर रह गई। उड़ीसा के कुल नमक उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत उत्पादन गंजाम ज़िले में होता है। और अब नमक के राष्ट्रीय उत्पादन में उड़ीसा राज्य की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है। गंजाम में भी समुद्री जल को उच्च ज्वार के दौरान नहरों के माध्यम से क्यारियों तक लाकर वाष्पन विधि का इस्तेमाल हो रहा है। इन नहरों में गाद इकट्ठा

**चित्र-8:** *रन ऑफ कच्छ के दलदल से नमक उत्पादन। भारत में विगत कुछ दशकों से नमक उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर काबिज़ है। गुजरात के कच्छ इलाके में हर साल अक्टूबर महीने से नमक उत्पादन का काम शुरू हो जाता है जो अगले साल मॉनसून शुरु होने तक चलता है।*

होने की वजह से सतत समुद्री पानी की पूर्ति बाधित होती है। उड़ीसा में नमक उत्पादन का क्षेत्र भी घटा और साथ ही उत्पादन एवं महत्व भी।

भारत का लगभग तीन-चौथाई नमक गुजरात से मिलता है। गुजरात के तटीय इलाके में इस व्यापार-उद्योग के फलने-फूलने से यहाँ के लोग अब गरीब लोगों में शुमार नहीं होते। लेकिन नमक उत्पादन करने वाले मज़दूरों को कम मेहनताना दिया जाता है। हर साल सितम्बर के महीने में गुजरात और भारत के अन्य प्रदेशों से हज़ारों मज़दूर यहाँ काम करने आते हैं। हफ्ते के सभी दिन काम करते हुए, अगले साल की गर्मी तक वे यहीं रहते हैं। नमक उत्पादन में भी कई तरह की अनियमितताएँ दिखाई देती हैं, मसलन - कम मेहनताना, मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन न करना, मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न देना, बाल श्रम का इस्तेमाल आदि। कई मज़दूर जो समाज के निचले तबकों से आते हैं, वे व्यापारियों से लिए कर्ज़ में आकण्ठ डूबे दिखाई देते हैं। लगातार नमक से परावर्तित रोशनी में काम करने की वजह से कई मज़दूर वर्णान्ध (कलर ब्लाइंड) हो जाते हैं।

सन् 1998 में गुजरात में आए चक्रवात में बड़ी संख्या में मज़दूर मारे गए थे। उस साल नमक की कीमत में उछाल भी आया लेकिन साल के अन्त तक मज़दूरों के दूसरे जत्थे काम पर पहुँच गए और एक बार फिर नमक की कीमत में कमी आ गई। भारत शासन की ओर से नमक कामगारों के वेलफेयर के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं जो उनके स्वास्थ, बच्चों की शिक्षा और आवास (नमक मज़दूर आवास योजना) सम्बन्धी हैं। परन्तु फिर भी नमक कामगारों को उचित श्रममूल्य और शिक्षा, स्वास्थ्य व बेहतर देखभाल की अभी भी दरकार है।

जब हम कहते हैं कि नमक पर हरेक भारतीय का अधिकार है, सभी को नमक सस्ता और आसानी-से मिलना चाहिए तो इस बात का खयाल रखना भी उतना ही ज़रूरी है कि उस नमक को हम तक लाने वाले श्रमिकों के काम के हालात और उनका जीवन भी बेहतर बने।

---

यह लेख मार्क कुरलान्स्की की किताब *सॉल्ट: अ वर्ल्ड हिस्ट्री,* प्रकाशक: विंटेज बुक्स, लंदन के 'नमक और महात्मा (सॉल्ट एंड ग्रेट सोल)' अध्याय का सम्पादित अंश है। यह लेख मराठी *संदर्भ* के अंक-76 से साभार।

**मराठी से अनुवाद एवं सम्पादन: माधव केलकर:** *संदर्भ* पत्रिका से सम्बद्ध हैं। लेख में ज़रूरत अनुसार कुछ हिस्से जोड़े और सम्पादित किए गए हैं।